सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/13/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003

Dated: 1st September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2. The Secretary,
   SC & ST Welfare Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Bhopal, (Madhya Pradesh)

3. Collector,
   District-Jabalpur,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Jabalpur (Madhya Pradesh) from 17th August, 2017 to 19th August, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Jabalpur (Madhya Pradesh) from 6th August, 2017 to 19th August, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

6082-85
5/9/17

(S.P. Meena)
Assistant Director

<u>Copy for information and necessary action to:</u>

1. The Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनाँक 17 अगस्त 2017 से 18 अगस्त 2017 तक का क्षेत्रीय जिला जबलपुर म.प्र.

प्रवास का प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 17/08/2017 TO 18/08/2017 { DISTRICT JABALPUR (MP) } ::-

- **जबलपुर विश्राम भवन में जनजाति एवं आम सामाजिक, आमजनों से भेंट कर उनसे समस्याओं पर चर्चा की गई।**
- **राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ द्वारा आयोजित महिला समन्वय कान्फ्रेन्स में भाग लेना।**

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	**सुश्री अनुसुइया उईके, उपाध्यक्ष,** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,भारत सरकार, नई दिल्ली		
2.	दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	**17/08/2017 To 19/08/2017**		
3.	दौरा किया गया स्थान	गाँव / शहर का नाम	:	जबलपुर
		जिला	:	जबलपुर
		राज्य	:	मध्यप्रदेश
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	1) सर्वश्री मुकेश कुमार जी बट्टी, उपाध्यक्ष, श्री अखिलेश मर्सकोले, श्री विमल पन्द्रे श्री अजमेर सिंह तेकाम, श्री रतनसिंह मरकाम, श्री एन पी ठाकुर, श्री शोकलाल कुलस्ते, श्री राजेन्द्र पट्टा, श्री विमल पन्द्रे, श्री गोविन्द सिंह मरावी,डॉ.के.एम धुर्वे, श्री रतन मरकाम, एस.सी. ,एस.टी.डिफेन्स इम्पलाईज कौसिंल जी.सी.एफ.जबलपुर एवं उनके साथ प्रतिनिधि मंडल। 2) श्री वाय. के. शिल्पकार, प्रांताध्यक्ष, श्री एस.के.सचदेव, प्रांतीय महासचिव, श्री ब्रजेश मरावी, श्री महेश चौहान, श्री अरूण जोथे, श्री बाबूलाल भैना, श्री लालसिंह सोलंकी, श्री तरूण विजय कार, श्री एस के गायकवाड, श्री मिथलेश सिंह, श्री ब्रजेश मरावी, श्री महेश चौहान,श्री प्रदीप कुमार चौधनरी, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी / कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल। 3) श्री सोनसिंह आर्मो, अध्यक्ष एस.सी.,एस.टी. डिफेन्स इम्पलाईज कौसिंल जी.सी.एफ.जबलपुर एवं उनके साथ प्रतिनिधि मंडल। 4) श्री जी.एस. गौड, कर्मचारी वाहन निर्माणी संस्थान भारत सरकार, जबलपुर।		

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		5) श्री हुकुम सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, वनवासी विकास परिषद महाकौशल जबलपुर एवं प्रतिनिधि मंडल। 6) श्री अंशुमन शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता, हाईकोर्ट एवं स्वधार शेल्टर होम संचालक जबलपुर। 7) श्री आर.के.पासी प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया डिफेन्स एससी / एसटी इम्पलाईज फेडरेशन जबलपुर एवं प्रतिनिधि मंडल। 8) श्री बिसन सिंह परतेती, प्रदेश अध्यक्ष, श्री एस.एस. तेकाम, जिला अध्यक्ष, श्री एन. पी. ठाकुर जिला सचिव गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर एवं प्रतिनिधि मंडल। 9) श्री एस.के. सिंह, प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जनजाति कल्याण विभाग जबलपुर।

(एस.सी.,एस.टी. डिफेन्स इम्पलाईज कौसिंल जी.सी.एफ.जबलपुर गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर के प्रतिनिधियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी / कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल जबलपुर के प्रतिनिधियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष)

DATED 17 AUGUST 2017 THURSDAY

5. दौरा के मुख्य बिन्दु – **(भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)**

1. एयरपोर्ट जबलपुर में प्रभारी सहायक आयुक्त एवं उनके विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया।
2. विश्राम गृह जबलपुर पहुँचने पर एस.सी.,एस.टी डिफेन्स इम्पलाईज कौसिंल जी.सी.एफ. जबलपुर एवं उनके साथ प्रतिनिधि मंडल से भेंट कर विभिन्न जनजाति समस्याओं पर चर्चा की गई, सुझाव प्राप्त किये।

   A. संगठन के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया गया कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत तोप गाड़ी निर्माणी संस्थान में इस समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति भारत सरकार के आरक्षण नियमों के तहत कार्यरत नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती में और विभागीय पदोन्नति परीक्षा से भी उक्त श्रेणी के पदों को नहीं भरा गया है।

   B. इसी संगठन द्वारा एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि तोपगाडी निर्माणी संस्थान में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। एस.सी./एसटी सेल में सुविधाओं का अभाव है, यह केन्द्र सप्ताह में मात्र एक दिन खोला जाता है। संस्थान आरक्षण का रोस्टर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया हैं जिसकी वजह से पदोन्नति नहीं हो पा रही है।

   C. आल इंडिया डिफेन्स एससी/एसटी इम्पलाईज फेडरेशन जबलपुर द्वारा अपने ज्ञापन कमॉंक 20 दिनॉंक 18 अगस्त के माध्यम से अनुरोध किया गया रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत तोपगाड़ी निर्माणी, व्हीकल फैक्टरी, ओ.एफ.खमरिया, सी.ओ.डी. जबलपुर, 506 आर्मीबेस वर्कशाप, सी.क्यू.ए. जबलपुर, जी.आई.एफ. जबलपुर का निरीक्षण / भ्रमण करें एवं इनमें कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को समक्षकर इनका

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निराकरण कराने का कष्ट करें।

कार्यवाही का विवरण

उक्त दोनों **ए एवं बी** में वर्णित प्राप्त ज्ञापनों को आयोग में प्रस्तुत कर नोटिस जारी करने के लिये निर्देशित किया गया है। कार्यवाही आयोग स्तर से होना शेष है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के फैक्टरी संचालित करने वाले सक्षम अधिकारी से कार्यवाही कराए जाने की अनुशंसा की जाती है। आयोग मुख्यालय से कार्यवाही शीघ्र की जावे।

3. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी / कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि :-

A. **मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग को जातिगत द्वेष दुर्भावना से ग्रसित होकर श्री राकेश ब्यौहार कार्यपालन अभियंता विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा जाता है।**

B. **मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग की मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड में अनूसूचित जनजाति / जाति के सहायक अभियंताओं को वर्ष 2012 से 2014 तक पदोन्नति का लाभ जातिगत द्वेष भावना से नहीं दी गई। आयोग से न्याय हेतु अनुरोध किया गया।**

C. **मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी / कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मंडल द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके संगठन द्वारा सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। कृपया इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आरक्षित वर्ग की समस्याओं को सुनकर उनका प्रशासन के साथ निराकरण कराने का कष्ट करें।**

D. **उपरोक्त दोनों ए एवं बी में प्राप्त एवं वर्णित अभ्यावेदनों को आयोग में प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। आयोग स्तर से कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाती है।**

4. गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर ने अवगत कराया कि :-

A. जिला प्रशासन द्वारा आदिवासी सामुदायिक भवन निर्माण के लिये शासकीय भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इस भूमि पर भवन निर्मित कराना प्रस्तावित है। जिसके लिये शासन से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता प्रदान कराई जावे। इस संबंध में सहायक आयुक्, जनजाति कल्याण विभाग जबलपुर ने अवगत कराया कि महासभा के पदाधिकारियों के साथ बैठकर भवन का प्रांक्कलन, मानचित्र एवं प्रारूप तैयार करवाकर शीघ्र ही शासन को प्रेषित कर दिया जावेगा।

B. प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि जबलपुर क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी श्री शंकर शाह - कुँवर रघुनाथ शाह जी का मध्यप्रदेश के महाकौशल (जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, कटनी, उमरिया इत्यादि) छत्तीसगढ में स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुती देकर स्वराज के लिये प्रयास करते हुए जनजाति समाज में जागरूकता पैदा कर आँदोलन को आगे बढाया था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के जनजाति उनको आज भी उन्हें स्मरण करते हैं और इनके बलिदान दिवस को आज भी मनाते हैं। जबलपुर में प्रतिवर्ष 18 सितम्बर को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें करीब

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दस से बीस हजार जनजाति एवं आम नागरिक उपस्थित रहते हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जनजाति समाज को मार्गदर्शित करने का अनुरोध किया गया और इस जन समुदाय को आयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने की इच्छा जाहिर की गई।

5. एस.सी.–एस.टी डिफेन्स इम्पलाईज कौसिंल जी.सी.एफ.जबलपुर एवं उनके साथ प्रतिनिधि मंडल इस संबंधमें में ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया कि जबलपुर स्थित विभिन्न रक्षा संस्थानों आयुध निर्माण, व्हीकल फैक्टरी, गन कैरिज फैक्टरी में जनजाति वर्ग के कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं और वे भी स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानी श्री शंकर शाह–कुँवर रघुनाथ शाह जी शामिल होते हैं। अवकाश नहीं होने की वजह से वे इस दिवस को मनाने में असमर्थ होते हैं इसलिये संगठनों द्वारा स्थानीय तौर पर अवकाश की मांग की गई है। इस ज्ञापन को प्रथक से संबंधित विभाग को भेजा गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

6. सचिव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, मध्यप्रदेश, गोमंतिका परिसर जवाहर चौक, भोपाल ने अपने ज्ञापन में प्रदेश के व्यक्तियों एवं आरक्षित वर्गो के हित रक्षण के लिये जो सुझाव दिये गये हैं उनका अति संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

   1. **जाति प्रमाणपत्र की वेलीडिटी का परीक्षण करवाया जावे ताकि फर्जी जाति प्रमाणपत्र हासिल करने वाले उजागर हो सकें और केवल वास्तविक व्यक्तियों को ही आरक्षण का लाभ मिले।**
   2. **मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाणपत्र भी परीक्षण के उपरांत जारी किया जावे न कि स्व–घोषणा के आधार पर जारी किया जावे। स्व–घोषणा के आधार पर कोई भी व्यक्ति मूल निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है।**
   3. **शासकीय सेवाओं में केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही भर्ती किया जावे।**
   4. **फर्जी जाति प्रमाण–पत्र की जाँच की लंबी प्रकिया है उसे संक्षिप्त और शीघ्र किया जावे ताकि फर्जी दोषी व्यक्ति उजागर हो सकें।**
   5. **मध्यप्रदेश जनजाति आयोग को फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच एवं दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सजा के तौर पर सेवा से पृथक करने का अधिकार दिया जावे।**

   इन सुझावों पर विचार करते हुए इनका परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, जनजाति विभाग मध्यप्रदेश को पत्र भेजा गया है। इस संबंध में आयोग से भी आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है। समुचित कार्यवाही की जावे।

7. गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर द्वारा दो अन्य ज्ञापन प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है :–

   1. जिला सचिव गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर में उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत कुण्डम के पंचायत अमझर के अंतर्गत ग्राम हिनौता में 25 वर्ष पुराने खेल मैदान का ही जीर्णोद्धार विकास कर खिलाड़ियों के लिये उपलब्ध कराया जावे। इसमें सभी ग्रामवासियों

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

की सहमति है, जबकि सरपंच द्वारा अन्य स्थान पर जो कि सभी दृष्टि से अनुपयुक्त है खेल मैदान निर्मित कराया जा रहा है उसे रोका जावे। सभी ग्रामीणों की मांग है कि पुराने मैदान का ही जीर्णोद्धार कराया जावे।

2. समस्त ग्रामवासी ने अवगत कराया है कि हिनौता की नदी में कुटराघोंदी से अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

3. ग्राम पंचायत अमझर में सरपंच सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्रदान करने हेतु रिश्वत ली जा रही है। शिकायत की जॉंच एवं परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जावे।

8. श्री जी.एस.गौड वाहन निर्माणी जबलपुर ने अपनी पदोन्नति के संबंध में लिखित अनुरोध किया गया। इस आवेदन को आयोग में प्रस्तुत कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

9. श्री हुकुम सिंह ठाकुर अध्यक्ष, वनवासी विकास परिषद, प्रांत सह संगठन मंत्री एवं संगठन मंत्री का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र की प्रति संलग्न है। पत्र में उनके द्वारा आदिम जाति वृक्षों में हित अधिनियम 1999(1956) के नियमों को सरलीकरण एवं उन्हें व्यावहारिक करने के संबंध में सुझाव दिये गये हैं जो कि व्यावहारिक एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं। उल्लेखित है कि श्री हुकुमसिंह ठाकुर, वन विभाग से संबंधित रहे हैं और अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इसलिये उन्हें इस नियम की कमियॉं, कठिनाईयॉं और वर्तमान परिदृश्य में नियमों की अव्यावहारिकता की भलीभांति समझ है। काफी विचार विमर्श एवं सोच के उपरांत उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वे विचारणीय और परिवर्तन योग्य हैं। सुझावों पर विचार एवं इनका परीक्षण करवाकर आवश्यक संशोधन जारी कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन को पत्र जारी किया गया है, आयोग स्तर से भी इसका अनुशरण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(वनवासी विकास परिषद महाकौशल एवं गोंड समाज महासभा जिला जबलपुर के प्रतिनिधियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष)

DATED 18 AUGUST 2017 THURSDAY

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रानी दुर्गावती कृषि महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वंय सेवक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	संघ द्वारा आयोजित महिला समन्वय कान्फ्रेन्स में भाग लिया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश क्षेत्र की प्रमुख महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, विचारकों, जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।	
	(रानी दुर्गावती कृषि महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ द्वारा आयोजित महिला समन्वय कान्फ्रेन्स में महिलाओं से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष)	
	निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन करते हुए संध्या के समय संपर्क क्रॉन्ति सुपर एक्सप्रेस से नई दिल्ली के लिये प्रस्थान। अगले दिन दिल्ली आगमन प्रवास सम्पन्न।	
6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा : **(जिसके साथ मुद्दे पर एन.सी.एस.टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफारिशों का उल्लेख किया जाए।)**	• आयुक्त निर्माणी फैक्टरियों के कर्मचारी संघों से प्राप्त प्रतिवेदनों अपील पर आयोग में प्रकरण दर्ज किया जावे। • मध्यप्रदेश राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये आवेदन / अपील पर आयोग में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की जाती है। • सचिव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव जनजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश को पत्र लिखा गया है, उसका अनुशरण आयोग स्तर से किया जावे। • कलेक्टर जबलपुर को स्थानीय आदिवासियों की समस्याओं के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों को निजी कक्ष से भेजा गया है। निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर अनुशरण के लिये स्मरण पत्र जारी किये जावें। • आयुध निर्माणी संस्थानों में जनजाति समाज के बलिदानी श्री शंकरशाह जी, रघुनाथ शाह जी के जयंती दिनॉंक 18 सितम्बर के अवसर पर स्थानीय आधार पर अवकाश दिये जाने के लिये निजी कक्ष से मा.रक्षामंत्री जी से पत्राचार किया गया है। निर्धारित समय पर अनुशरण किया जावे। • श्री जी एस गौड, जबलपुर की अपील आयोग में प्रस्तुत की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		गई है। परीक्षण कर प्रकरण दर्ज किया जावे और समुचित कार्यवाही आयोग से की जावे। • वनवासी विकास परिषद महाकौशल जबलपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन जो कि "आदिम जाति वृक्षों में हित अधिनियम 1999(1956) के नियमों का सरलीकरण एवं उन्हें व्यावहारिक करने के संबंध में है" के संबंध में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव जनजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश को पत्र लिखा गया है, उसका अनुशरण आयोग स्तर से किया जावे। • कलेक्टर जबलपुर से तथा सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग जबलपुर से शिकायत एवं आदिवासी भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में अनुशरण पत्राचार करने की अनुशंसा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक :-

1. आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन की प्रति।
2. समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।